

अंतिम डिकी व मुकदमें इबाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


हरदीन बनाम रामधन

दावा बाबत :- 53, 88, 188, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -79/16
पेश करने की दिनांक - 2.5.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई हीरालाल माली मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम रामसर के खसरा नम्बर 6248, 6254, 6255, 6256, 6258/10981, 6259/10979 रकबा 0.27, 0.89, 0.54, 0.37, 0.09, 0.14 कुल किंता 6 कुल रकबा 2.30 पर रामधन पि0 हीरा कौम जाट सा0 मावस्या को, खसरा नम्बर 6248/10978, 6253, 6258, 6259, 6260, 6261 रकबा 0.23, 0.75, 0.14, 0.27, 0.41, 0.31 कुल किंता 6 कुल रकबा 2.11 पर हरीदन पि0 हीरा कौम जाट सा0 मावस्या को, खसरा नम्बर 6253/10980 रकबा 0.18 पर शंकर पि0 हरदीन कौम जाट सा0 मावस्या राहिन आईसीआईसीआई बैंक को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलं दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सुद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअख्त दस्तख्त क मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 4 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद